205

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एफ क्रमांक सी 5-3/ब/84/3/1 भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 1984

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965-नियम 17(5) के अन्तर्गत उधार लेने से संबंधित प्रक्रिया ।

सामान्य प्रशासन विभाग की दिनांक 7 दिसम्बर 1983 की अधिसूचना द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 17 में उपनियम (5) अंत: स्थापित कर शासकीय कर्मचारियों द्वारा उधार लेने के संबंध में यह प्रावधान किया गया है कि, कोई भी शासकीय सेवक पेयी एकाउन्ट चेक के माध्यम के सिवाय रू0 2000/- से अधिक की धनराशि उधार नहीं लेगा । शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि उपर्युक्त नियम की उपेक्षा की जा रही है । आपसे निवेदन है कि उपर्युक्त नियम का कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित करें एवं अपने अधीनस्थों को इससे अवगत करायें ।

(केoएनo श्रीवास्तव)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग